न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या 175/2019 निर्णय दिनांक 19.06.2019

उनवान

1. मंगल पुत्र भौरिया
2. फेलूराम पुत्र भौरिया
3. हनुमान सहाय पुत्र भौरिया समस्त जाति मीणा निवासी नन्दलालपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

बनाम

5. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कोटखावदा

प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी करवाने बाबत।

प्रार्थीगण ग्राम नंदलालपुरा तहसील कोटखावदा में खातेदार काश्तकार है जिनके आराजी खसरा नम्बर 25, 31, 32, 33, 34, 35, 47/532, 47/608, 55, 57, 64, 65, 66, 78, 194, 196, 208, 222 किता 18 रकबा 0.387 है0 भूमि वाके ग्राम नन्दलालपुरा तहसील कोटखावदा में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है प्रार्थीगण उक्त खातेदार भूमि की पत्थर गढी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जवाब तलब किया व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार पेश किया जिसें बिन्दु संख्या 1 व 2 स्वीकार किया व शेष वादी व सरकार से संबधित बताया गया । जवाब सरकार पेश होने पर वकील प्रार्थी को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया तो प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान पूर्व में 05.07.2017 का कराया जा चुका है अब पत्थरगढी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 25, 31 से 35, 47/532, 47/608, 55, 57, 64, 65, 66, 78, 194, 196, 208, 222 किता 18 रकबा 3.82 है0 भूमि वाके ग्राम नन्दलालपुरा की भूमि पत्थरगढी अप्रार्थीगण व अप्रार्थी एवं पडौसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नही हो तथा फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:17:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(एस0डी0एम0) चाकसू